बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी
नियमावली

बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी (बी.एस.ए.) शिक्षा के साथ–साथ खेल को बढावा देने के लिए प्रारंभ की जा रही है। बीजापुर स्पोर्टस एकेडमी का संचालन जिला प्रशासन द्वारा जिला खनिज न्यास निधि, सी.एस.आर. मद एवं अन्य समसामयिक मद से किया जाएगा। बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी के अंतर्गत विभिन्न खेलों के क्रियान्वयन हेतु जिले में उपलब्ध शासकीय अधोसंरचना एवं संसाधनों का उपयोग किया जाएगा।

❖ उद्देश्यः–

बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी के स्थापना का मुख्य उद्देश्य :– बीजापुर जिले के अंतर्गत ग्रामीण परिवेश मे रहने वाले बालक एवं बालिकाओं के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारना है तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए आधार प्रदान करना है।

- अनुसूचित क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करना है।
- प्रतिभाशाली खिलाडियों को विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने के लिए प्रेरित करना जिससे युवावर्ग प्रेरित हो सके और समाज का विकास हो।
- ग्रामीण बालक–बालिकाओं में अनुशासन, सहयोग एवं समन्वय के गुण विकसित करना है।
- जिले के युवावर्ग को खेल के प्रति आकर्षित करना एवं रूचि उत्पन्न करना है।
- शाला त्याग करने वाले विधार्थियों की संख्या में कमी लाना है।
- ग्रामीण क्षेत्र के बालक–बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता का गुण विकसित करना है।

❖ बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी की संरचना :–

बी.एस.ए. के अंतर्गत दस खेल संचालित हैं जो निम्नानुसार हैं :–

1. एथलेटिक्स
2. कराते
3. जूडो
4. तीरंदाजी
5. तैराकी
6. बास्केटबाल
7. व्हॉलीबाल
8. फुटबॉल
9. बैडमिंटन
10. सॉफ्टबाल

Patil

बी.एस.ए. में संचालित खेलो के मैदान :-

1. एथलेटिक्स :- बीजापुर स्पोर्टस काम्प्लेक्स में स्थित एथलेटिक्स ट्रैक
2. कराते :- बीजापुर स्पोर्टस काम्प्लेक्स में स्थित जूडो कराते हॉल
3. जूडो :- बीजापुर स्पोर्टस काम्प्लेक्स में स्थित जूडो कराते हॉल
4. तीरंदाजी :- बीजापुर स्पोर्टस काम्प्लेक्स में स्थित शुटिंग एरीना
5. तैराकी :- बीजापुर स्पोर्टस काम्प्लेक्स में स्थित आधुनिक तरणताल
6. बास्केटबाल :- शास.कन्या शाला में स्थित बास्केटबाल कोर्ट
7. व्हॉलीबाल :- शास.कन्या शाला में स्थित व्हालीबाल ग्राउंड
8. फुटबॉल :- मिनी स्टेडियम स्थित फुटबाल ग्राउंड
9. बैडमिंटन :- बीजापुर स्पोर्टस काम्प्लेक्स में स्थित संसाधनयुक्त बैडमिंटन हॉल
10. सॉफ्टबाल :- जनपद ग्राउंड में स्थित सॉफ्टबाल ग्राउंड
11. जिम :- बीजापुर स्पोर्टस काम्प्लेक्स में स्थित बैडमिंटन हॉल के अंदर जिम हॉल

❖ **बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी अंतर्गत निम्न समितियों का गठन किया गया है:-**

▪ प्रशासन समिति :-

1.	कलेक्टर, जिला बीजापुर	– अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,बीजापुर	– कार्यकारी अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक, जिला बीजापुर	– अध्यक्ष
4.	वन मण्डलाधिकारी, बीजापुर	– सदस्य
5.	जिला शिक्षा अधिकारी, बीजापुर	– सदस्य
6.	सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, बीजापुर	– सदस्य
7.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बीजापुर	– सदस्य
8.	रा.गा.शि.मिशन समन्वयक	– कोषाध्यक्ष
9.	जिला खेल अधिकारी	– सदस्य
10.	श्री सुखलाल पुजारी (जनप्रतिनिधि)	– विशेष आमंत्रित सदस्य
11.	श्री गणेश मिश्रा (पत्रकार)	– विशेष आमंत्रित सदस्य

(विशेष आमंत्रित सदस्यो का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा, जिला ओलम्पिक संघ बनाने पर उसके अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे)

▪ अनुशासन समिति :-

1.	जिला खेल अधिकारी	– अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी	– सदस्य
3.	सहायक प्रभारी	– सदस्य

▪ अंशकालिक क्रीडा प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक नियुक्ति हेतु गठित समिति:-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत — अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग — सदस्य
4. जिला खेल अधिकारी — सदस्य

- क्रय समिति एवं अपलेखन समिति :—

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,बीजापुर — अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य
3. जिला खेल अधिकारी — सदस्य
4. जिला मिशन समन्वयक — सदस्य
5. जिला कोषालय अधिकारी — सदस्य

- खिलाडियों के चयन हेतु गठित समिति :—

1. जिला खेल अधिकारी — अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य
3. संबंधित खेल के प्रशिक्षक — सदस्य
4. एकेडमी सहायक प्रभारी — सदस्य

- कार्यकारी समिति:—

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत — अध्यक्ष
2. जिला खेल अधिकारी — सदस्य
3. जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य
4. **विशेष** आमंत्रित सदस्य
5. **विशेष** आमंत्रित सदस्य

बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी की दैनिक कार्य व्यवस्था हेतु कार्यालयीन सेट—अप निम्नानुसार निर्धारित किया जाना है :—

1. एकेडमी प्रभारी (जिलास्तरीय) — 1
2. एकेडमी सहायक प्रभारी — 1
3. लिपिक सहायक ग्रेड—03 — 1
4. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर — 1
5. पुरूष ग्राऊँड्समैन — 2
6. महिला ग्राऊँड्समैन — 2
7. भृत्य — 2
8. छात्रावास सफाई हेतु स्वीपर — 2
9. खेल प्रशिक्षक — 10
10. खेल सहायक प्रशिक्षक — 10

Datil

❖ बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी (बी.एस.ए.) की कार्यप्रणाली एवं नियमः–

(1) बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी अंतर्गत दस (10) खेल संचालित है। नए खेलों को प्रशासन समिति जोड़ सकती है। प्रत्येक खेल के प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षक, एक सहायक प्रशिक्षक की नियुक्ति की जाएगी।

(2) प्रत्येक खेल में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाडियों की संख्या सीमित होगी जिसका निर्धारण समय–समय पर प्रशासन समिति द्वारा किया जाएगा।

(3) वर्तमान में बी.एस.ए. अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु निर्धारित खिलाडियों की संख्या निम्नानुसार है :–

क्र.	खेल	खिलाडियों की संख्या
1.	एथलटिक्स	20
2.	जूडो	40
3.	कराते	40
4.	फुटबॉल	60
5.	व्हॉलीबॉल	24
6.	बैडमिंटन	20
7.	तैराकी	20
8.	तीरंदाजी	30
9.	सॉफ्टबॉल	60
10.	बास्केटबॉल	24
	कुल	338

(4) खिलाडियों की भर्ती प्रतिवर्ष 01 जूलाई से पूर्व किया जाना सबंधित प्रशिक्षक सुनिश्चित करेंगे।

(5) बी.एस.ए. में जिन 125 बालक एवं 75 बालिकाओं को आवास की आवश्यकता होगी उन्हे आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी ।

(6) बालक–बालिकाओं को पृथक–पृथक आवासीय सुविधा दी जाएगी ।

(7) वर्तमान में बालिकाओं के आवास एवं भोजन हेतु कन्या छात्रावास बीजापुर में निर्धारित किया गया है, जहाँ 75 बालिकाओं के आवास एवं भोजन की व्यवस्था है।

(8) बी.एस.ए. में आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बालकों के आवास एवं भोजन हेतु बालक आश्रम बीजापुर को निर्धारित किया गया है, जहाँ 125 बालकों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था है।

Patil

(9) सहायक प्रभारी बी.एस.ए. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी से समन्वय कर सभी खिलाडियों का स्वास्थ्य परीक्षण हर छः माह में किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(10) ग्रीष्म अवकाश केवल 15 दिन का होगा।

(11) प्रशिक्षक व सहा0 प्रशिक्षक को कुल 20 दिन प्रतिवर्ष का अवकाश मिल सकेगा। एक खेल के प्रशिक्षक एवं सहायक प्रशिक्षक मे से एक समय में केवल एक ही को अवकाश मिल सकेगा तथा अवकाश लेने वाला प्रशिक्षक व सहायक प्रशिक्षक अपना प्रभार अपने खेल के अंतर्गत प्रशिक्षक एवं सहायक प्रशिक्षक को दें।

(12) बी.एस.ए. अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु बालक–बालिकाओं का चयन प्रतियोगिता के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जाएगा। चयनित बालक एवं बालिकाओं की आयु 08 वर्ष से 17 वर्ष के बीच होना अनिवार्य होगा। प्रत्येक खिलाडी केवल एक ही खेल में प्रतिभागी होगा एवं उसका प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

(13) अनुशासन समिति खेल में बदलाव की अनुमति दे सकेगा। यह समिति हर तीन माह में बदलाव/ अनुपस्थित/गैर अनुशासित होने वाले खिलाडीयो की समीक्षा करेगी।

(14) बी.एस.ए. मे प्रशिक्षणरत बालक–बालिकाओं हेतु प्रशिक्षण का समय प्रातः 06.00 बजे से 08.00 बजे एवं संध्या 04:30 से 06:30 बजे तक तय किया गया है। मौसम एवं ऋतु अनुसार समय में परिवर्तन किया जा सकेगा।

(15) बी.एस.ए. के प्रशिक्षकों, सहायक प्रशिक्षकों, एवं कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति हेतु बी.एस.ए. के सहायक प्रभारी को नियत किया गया है।

(16) बी.एस.ए. में नियुक्त महिला एवं पुरूष ग्राउण्ड्समैन का कार्य बालक– बालिकाओं को उनके छात्रावास से प्रशिक्षण मैदान तक पहुँचाना तथा प्रशिक्षण उपरांत वापस छात्रावास में पहुँचाना होगा। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक एवं सहायक प्रशिक्षक की सहायता एवं ग्राउंड की देखभाल करना होगा।

(17) प्रतिदिन सुबह एवं शाम ग्राउन्ड में खिलाडियों की उपस्थिति प्रशिक्षक द्वारा दैनिक पंजी में लेना होगा।

(18) छात्रावास में रहने वाले बालक माध्यमिक शाला एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीजापुर में अध्ययन करेंगे तथा छात्रावास में रहने वाली बालिकाएँ नवीन कन्या शाला बीजापुर में अध्ययन करेंगी।

(19) छात्रावास मे रहने वाले बालक एवं बालिकाओं के देख–रेख की संपूर्ण जिम्मेदारी छात्रावास अधीक्षक एवं अधीक्षिका की होगी । तथा बी.एस.ए. के सहायक प्रभारी इसकी सतत निगरानी करेंगे।

(20) प्रतिदिन सुबह एवं शाम बालक छात्रावास में दैनिक उपस्थिति संबंधित छात्रावास के अधीक्षक उपस्थिति पंजी में लेंगे तथा बालिका छात्रावास में दैनिक उपस्थिति अधीक्षिका दैनिक पंजी में लेंगे।

(21) छात्रावास में रहने वाले बालक एवं बालिकाओं के भोजन का खर्च आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा शिष्यवृत्ति के रूप में वहन किया जाएगा तथा बालक

Patil

–बालिकाओं के अतिरिक्त आहार का खर्च जिला खनिज न्यास निधि/ सी.एस.आर. द्वारा वहन किया जाएगा।

(22) आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों का डाईट प्लान एवं भोजन का मेन्यू प्रशिक्षकों द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति प्रशासन समिति द्वारा दिया जाएगा ।

(23) भोजन एवं स्वल्पाहार में खर्च की गई राशि का ब्यौरा छात्रावास अधीक्षक /अधीक्षिका द्वारा पंजी में दर्ज किया जाएगा। इस पंजी का समय–समय पर समिति द्वारा ऑडिट किया जाएगा।

(24) सभी खेलों के खिलाडी केवल संबंधित खेल के राज्य/राष्ट्रीय संघ से मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में ही भाग लेंगे। अन्य किसी गैर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति नही होगी।

(25) प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाडियों का चयन संबंधित खेल के प्रशिक्षक द्वारा किया जाएगा, जो एकेडमी प्रभारी की अनुमति पश्चात प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

(26) प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 07 दिन पूर्व संबधित प्रशिक्षक को आवेदन में खेल का नाम प्रशिक्षक एवं सहायक प्रशिक्षक का नाम, आयोजन स्थल एवं दिनांक, आयोजक का विवरण, आयोजक संस्था की मान्यता का विवरण, शामिल होने वाले खिलाडियों की संख्या, यात्रा प्रभारी का विवरण, अनुमानित कुल एवं प्रति वयक्ति व्यय की जानकारी उल्लेखित करना होगा।

(27) खेल में शामिल होने के विषय में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान नही की जाएगी।

(28) आवेदित खेल में भाग लेने की अनुमति प्रभारी अधिकारी बी.एस.ए. द्वारा अध्यक्ष बी.एस.ए. के अनुमोदन उपरांत प्रदान की जाएगी।

(29) बी.एस.ए. अंतर्गत संचालित सभी खेल पंजीयक, फर्म्स एण्ड सोसाईटीज में पंजीकृत होंगे और इन खेलों के जिला एसोसिएशन का गठन किया जाएगा। तथा ये सभी खेल बीजापुर ओलंपिक संघ में संबद्ध होंगे।

(30)बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी का सालाना बजट एक करोड़ रूपये से अधिक नहीं होगा। इस बजट में प्रशिक्षकों, कर्मचारियों, फिजियोथेरेपिस्ट आदि का वेतन, कार्यालय व्यय, अन्य आकस्मिक व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय,खेल समाग्री व्यय, छात्रावास के बालक–बालिकाओं का स्वल्पाहार व्यय तथा राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता व्यय निहित होगी।

(31) स्कन्ध पंजी अद्यतन रखने का दायित्व सहायक प्रभारी का होगा। पंजी प्रतिमाह प्रभारी अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

Patil

(32) प्रत्येक प्रशिक्षक अपने खेल से संबंधित सामग्री के विषय में स्कन्ध पंजी संधारित करेंगे। किसी भी टूट–फूट की सुचना अविलंब सहायक प्रभारी को दि जाएगी। प्रत्येक 06 माह में अपलेखन समिति आवश्यक अपलेखन की कार्यवाही करेगी।

(33) प्रत्येक खेल के वार्षिक गतिविधि का कलेण्डर बनाने का दायित्व संबधित प्रशिक्षक का होगा।

(34) प्रत्येक खेल प्रशिक्षक संबंधित खेल सामग्री के विषय मे हर 03 माह में मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे। सामग्री का प्राक्कलन बनाकर कर प्रशिक्षक प्रस्तुत करेंगे।

(35)प्रत्येक खेल के उपकरण एवं सामग्रियों का सालाना बजट प्रभारी अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसका अनुमोदन प्रशासन समिति द्वारा किया जाएगा।

(36) बी.एस.ए. की कार्यव्यवस्था की समीक्षा के लिए हर 02 माह में अकादमी की प्रशासन समिति की बैठक होगी। समय–समय पर बैठकों का आयोजन प्रशासन समिति द्वारा किया जाएगा।

❖ **प्रशिक्षको, सहायक प्रशिक्षकों एवं कर्मचारीयों का वेतन स्लैबः–**

क्र0	पदनाम	योग्यता	मासिक वेतन
1	प्रशिक्षक	B-P-ED/M-P-ED, NIS	35000/–
2	प्रशिक्षक	B-P-ED/M-P-ED, short NIS	32000/–
3	प्रशिक्षक	उत्कृष्ट खिलाडी/ B-P-ED/M-P-ED	25000/–
4	प्रशिक्षक	B-P-ED	20000/–
5	सहायक प्रशिक्षक	राज्य स्तरीय खिलाडी एवं मेडल	15000/–
6	फिजियोथेरेपिस्ट	B.P.T	10000/–
7	डाटा एंट्री आपरेटर	DCA/PGDCA	कलेक्टर दर
8	ग्राऊँड्समैन/भृत्य	5वी पास	कलेक्टर दर

❖ **बी.एस.ए. अंतर्गत गठित समितियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ :–**

1. प्रशासन समिति के कर्तव्य एवं शक्तियाँ :–
   - ➢ बी.एस.ए. के समस्त प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार प्रशासन समिति में निहित होंगे।
   - ➢ बी.एस.ए. मे किसी नए खेल को भामिल करना एवं पूर्व से संचालित किसी खेल को हटाने का अधिकार प्रशिक्षक समिति में निहित होगा।

Datil

- बी.एस.ए. अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बालक–बालिकाओं के खेलवार संख्या का निर्धारण एवं आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बालक–बालिकाओं के आवास के स्थान में परिवर्तन का संपूर्ण अधिकार प्रशासन समिति का होगा।
- प्रशिक्षकों द्वारा तैयार किया गया सालाना सामग्री क्रय करने का बजट तथा सालाना प्रतियोगिताओं में भाग लेने का बजट अनुमोदन प्रशासन समिति द्वारा किया जाएगा।
- किसी प्रतियोगिता के आयोजन का निर्णय प्रशासन समिति द्वारा लिया जाएगा।
- बी.एस.ए. अंतर्गत गठित समिति के अतिरिक्त किसी अन्य समिति का गठन करना अथवा किसी समिति को भंग करने का संपूर्ण अधिकार प्रशासन समिति का होगा।
- किसी भी प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक अथवा कर्मचारी को बर्खास्त करने का अधिकार एवं वेतन स्लैब में संशोधन करने का अधिकार प्रशासन समिति का होगा।
- प्रशासन समिति के अंतर्गत नए सदस्य शामिल करने तथा किसी सदस्य को हटाने की शक्तियाँ प्रशासन समिति में निहित होंगी।
- बी.एस.ए. की नियमावली में किसी भी प्रकार के संशोधन करने का संपूर्ण अधिकार प्रशासन समिति में निहित होगा।

2. अंशकालिक क्रीडा प्रशिक्षक नियुक्ति समिति के कर्तव्य एवं शक्तियाँ:–
   - बी.एस.ए. अंतर्गत खेलों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों एवं सहायक प्रशिक्षकों की नियुक्ति का संपूर्ण अधिकार इस समिति का होगा।
   - नियुक्ति के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में समिति का निर्णय अंतिम होगा।

3. खिलाडियों के चयन हेतु समिति की शक्तियाँ:–
   - प्रत्येक सत्र में नए खिलाडियों की भर्ती हेतु प्रतियोगिता का आयोजन एवं भर्ती के अधिकार इस समिति में निहित होंगे।
   - भर्ती हेतु नए नियम बनाना एवं भर्ती नियमों में संशोधन करने की अनु ंसा इस समिति द्वारा प्रशासन समिति के समक्ष की जाएगी।
   - भर्ती के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में समिति का निर्णय अंतिम होगा।
4. अनुशासन समिति के कर्तव्य एवं शक्तियाँ:–
   - बी.एस.ए. में अनुशासन बनाए रखने के लिए निर्मित नियमों का पालन प्रशिक्षकों एवं खिलाडियों द्वारा किया जाए. इसकी निगरानी का कार्य अनुशासन समिति का होगा।

Patil

- किसी भी प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, खिलाडी अथवा कर्मचारी द्वारा नियम तोडे जाने पर अथवा उपरोक्त के विरुध शिकायत प्राप्त होने पर कार्यावाही करने का अधिकार अनुशासन समिति का होगा।
- मौसम, ऋतु एवं परिस्थिति अनुसार प्रशिक्षण के समय में परिवर्तन करने का अधिकार इस समिति में निहित होगा।

5. क्रय समिति की शक्तियाँ एवं कर्तव्यः–
   - प्रतिवर्ष प्रशिक्षकों द्वारा प्रत्येक खेल की सामग्रियों की मांग किए जाने पर उन सामाग्रियों को क्रय करने के नियम एवं अधिकार क्रय समिति में निहित होंगे।

6. कार्यकारी समिति के कर्तव्य एवं शक्तियाँ:–
   - प्रत्येक सत्र के छः माह उपरांत प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को दिए गए प्रशिक्षण का समीक्षा उस खेल के खिलाडियों का प्रशिक्षण करना इस समिति का कर्तव्य होगा।
   - परीक्षण उपरांत सभी खेलों के प्रशिक्षकों का कार्य संतोषजनक या असंतोषजनक पाया गया है इसका प्रतिवेदन समीक्षा समिति द्वारा प्रशासन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

- **इस नियमावली में उल्लेखित नियमों एवं शक्तियाँ के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की शक्तियाँ प्रशासन समिति में निहित होंगे।**

Patil

कलेक्टर
जिला-बीजापुर